

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 090/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/247)	दायर दिनांक 17-10-2025	निर्णय दिनांक 25-11-2025
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल, निवासी बून्दी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200)

अपीलार्थी**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.08.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./090/2025(सू.अ.) (18.11.2025)716 दिनांक 17.10.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 25.11.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/174 दिनांक 17.11.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)



चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल, निवासी बून्दी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 तक के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक प्रकृति के हैं तथा बिन्दु संख्या 04 से वांछित सूचना हेतु आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/241 दिनांक 07.10.2025 से लिखा जाकर प्रार्थी को सूचना से अवगत करवा दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को उक्त सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। हमने अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र 20.08.2025 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 01, 02, व 03 से वांछित सूचना की प्रकृति प्रश्नात्मक, सृजनात्मक होना प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक



प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 01, 02, व 03 के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, एवं बिन्दु संख्या 04 के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश 62F397743 के प्रेषित की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित कराया गया है। हमने अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र 20.08.2025 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 04 से वांछित सूचना हेतु आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ को पत्र दिनांक 07.10.2025 से सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना जाहिर किया। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 04 का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन-पत्र जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 04 संबंध में निस्तारण की विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 04 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समयावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 20.08.2025 के बिन्दु संख्या 04 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित किया



गया है, बाबत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 15 दिवस में, वांछित सूचना/विनिश्चय, प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी संबंधित कार्यालय आयुक्त नगर परिषद् से जिस रूप में संधारित हों, उसी रूप में, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड डाक के अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)